(28)

संख्या– 606 /VI-2/2011–4(13)2008

प्रेषक,

यू0सी0कबड़वाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 जुलाई, 2011

विषयः– विकास खण्ड डुण्डा (उत्तरकाशी) बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–503/की.हा.नि.पत्रा./2011–12/दे0दून दिनांक 24 मई, 2011, शासनादेश संख्या–538/VI–2/2010–4(13)2008 दिनांक 27 सितम्बर, 2010 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास खण्ड डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन ₹103.90 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 96.35 लाख के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹26.35 लाख (₹ छब्बीस लाख पैतीस हजार) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 571/XXVII (1)/2010 दि0–19–10–2010 के विहित शर्तो के अनुसार अगले चरण के लिए शीघ्रता से समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

...(2)

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0 वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

6. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवा सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–03 इन्डोर हाल एवं हास्टल निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा

भवदीय,

(यू0सी0कबड़वाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 666/VI-2/2011–2(4)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मेंत्री जी उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, निर्माण इकाई, टिहरी।
9. एन0आई0सी0, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।